रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1971/फाल्गुन 18, 1892

No. 203] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1971/PHALGUNA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March 1971

S.O. 1081.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in modification of the Commission's notification No. 464/MT-HP/71(1), dated the 27th January, 1971, the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 6.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the elections to the House of the People from Polling station Nos. 13-Shedgaon and 16-Wavali of Bhiwandi Assembly segment of Bhiwandi Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra.

This amendment shall be deemed to have taken effect from the 27th February, 1971.

[No. 464/MT-HP/71(1).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1971

एस० ओ० 1081.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में तथा आयोग की अधिसूचना सं० 464/महा० लो० स०/71 (1) तारीख 27 जनवरी 1971 के उपान्तर में विनिर्दिष्ट आयोग महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा के लिए भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भिवंडी सभा खंड के मतदान केन्द्र सं० 13—शेदगांव और 16—बावेली से निर्वाचनों के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

ये संशोधन 27 फरवरी 1971 से लागू माने जायेंगे।

[सं० 464/महा० लो० स०/71 (1).]

आदेश से,

ए० ऐन सैन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971